दिनांक- 29.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 456/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 29.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 29.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 457/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय न्यायालय महोबा में सघन चेकिंग अभियान, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29.07.2026 को जनपदीय न्यायालय परिसर महोबा में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु व्यापक स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान किसी भी संभावित खतरे एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से एन्टी सेबोटाज टीम बांदा, डॉग स्क्वॉड, एलआईयू महोबा तथा न्यायालय सुरक्षा में तैनात पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा परिसर की गहन तलाशी ली गई।

अभियान के अंतर्गत न्यायालय परिसर में आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं वस्तुओं की बारीकी से जांच की गई। डॉग स्क्वॉड द्वारा परिसर के विभिन्न हिस्सों में सूंघकर जांच की गई, वहीं एंटी सेबोटाज टीम द्वारा विस्फोटक या अन्य संदिग्ध सामग्री की संभावना को ध्यान में रखते हुए तकनीकी उपकरणों से निरीक्षण किया गया।

चेकिंग के दौरान न्यायालय परिसर के आसपास खड़े वाहनों की भी सघन तलाशी ली गई तथा बिना सत्यापन के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई। इस पूरी कार्यवाही का उद्देश्य न्यायालय में आने वाले न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनपद में सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से इस प्रकार की चेकिंग की जाए, जिससे कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा जा सके और आमजन में सुरक्षा का भाव बना रहे।

दिनांक- 29.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 458/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़-थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत गठित पुलिस टीम, जिसमें उ0नि0 सुधीर कुमार, उ0नि0 राजेन्द्र यादव मय हमराह का0 इन्द्रपाल चौहान द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण 1. भग्गू पुत्र दुर्जन, उम्र लगभग 60 वर्ष एवं 2. रामदास पुत्र शिवदयाल, उम्र लगभग 55 वर्ष निवासीगण ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट मु0नं0 2340/2014 धारा 323/504 भादवि के अनुपालन में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के उपरांत दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भग्गू पुत्र दुर्जन, उम्र लगभग 60 वर्ष
2. रामदास पुत्र शिवदयाल, उम्र लगभग 55 वर्ष निवासीगण ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

संबंधित वाद का विवरण-

मु0नं0 2340/2014 धारा 323/504 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुधीर कुमार, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. उ0नि0 राजेन्द्र यादव, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
3. का0 इन्द्रपाल चौहान, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

दिनांक- 29.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 459/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़-थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई:
अवैध तमंचा-कारतूस सहित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री/परिवहन पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।
- प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम के तहत उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिनांक 28.07.2026 को भूरा टूडर मोड़ स्थित यात्री प्रतीक्षालय से 01 नफर अभियुक्त पवन राजपूत पुत्र रामपाल राजपूत उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।
- गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 110/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- पवन राजपूत पुत्र रामपाल राजपूत, उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी-

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
2. रि0कां0 कौशिक सिंह
3. रि0कां0 सूरज कुमार भारती

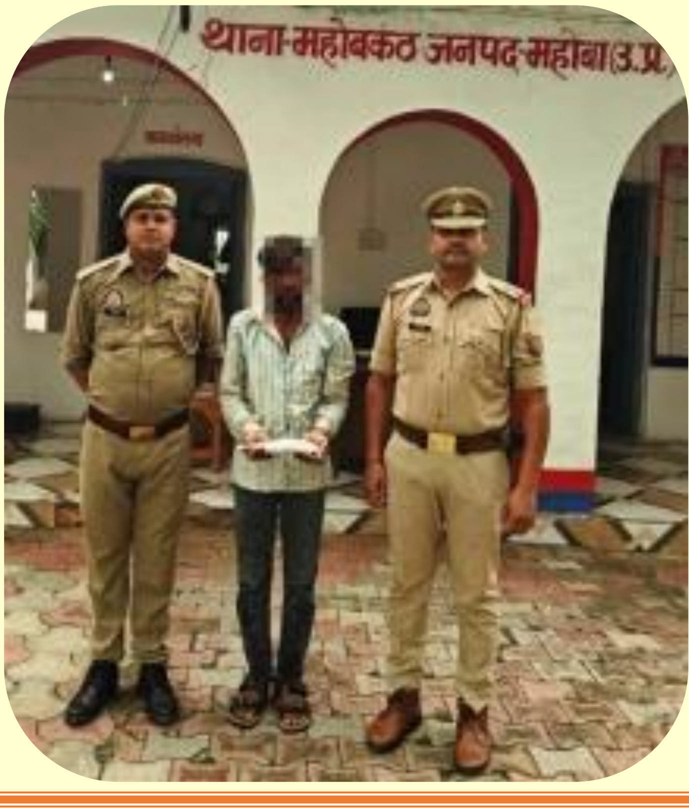

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 83/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम
2.मु0अ0सं0 179/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम
3.मु0अ0सं0 194/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
4.मु0अ0सं0 214/2025 धारा 115(2)/126(2)/351(3)/352
5.मु0अ0सं0 216/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
6.मु0अ0सं0 40/2025 धारा 110/115(2)/117(2) आर्म्स एक्ट
7.मु0अ0सं0 110/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

दिनांक- 29.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 460/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपदीय साइबर थाना का किया गया औचक निरीक्षण, दिए गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 29.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा स्थित जनपदीय साइबर थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साइबर अपराधों से संबंधित लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि साइबर अपराधों में संलिप्त अपराधियों की त्वरित पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जांच प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने पर बल देते हुए साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रभारी साइबर थाना को आमजन को साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए, जिससे नागरिकों को ऐसे अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि साइबर अपराध से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए पीड़ितों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराया जाए।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना परिसर की स्वच्छता, सुव्यवस्था एवं पब्लिक फ्रेंडली वातावरण बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही अभिलेखों—जैसे रजिस्टर, केस डायरी आदि—को नियमित रूप से अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए गए।

महोबा पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं जनजागरूकता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

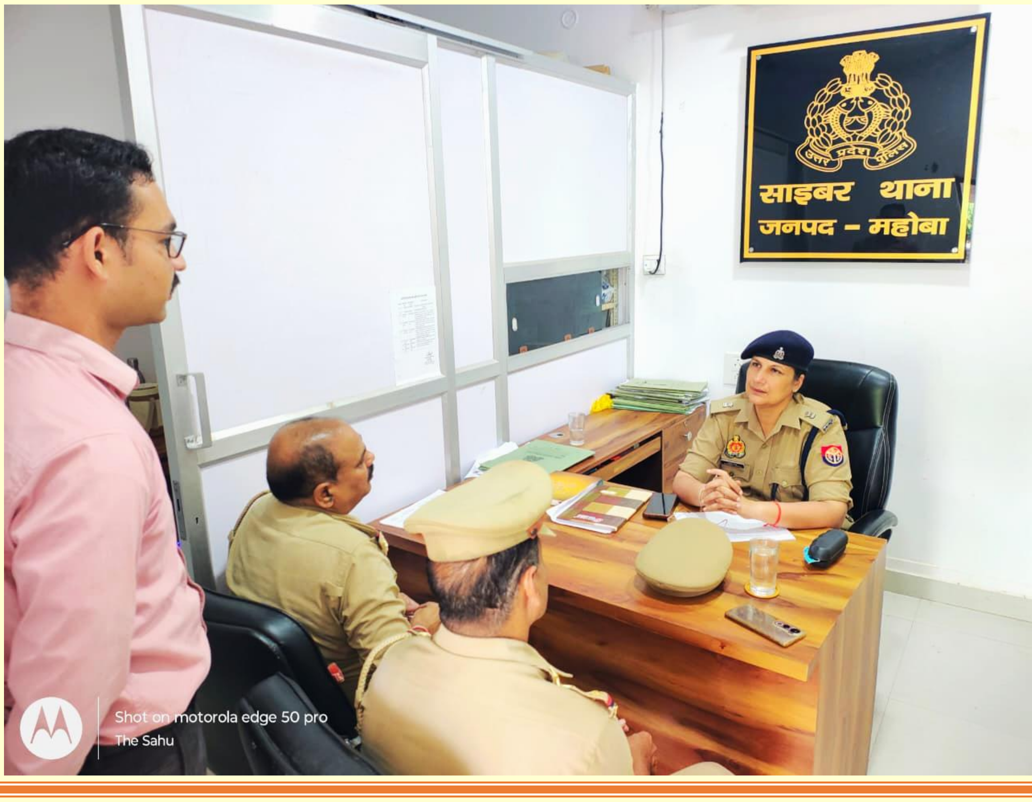

दिनांक- 29.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 461/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़-थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, नकदी व जेवरात बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण व चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना अजनर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आरी में हुई चोरी के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 से संबंधित अज्ञात चोरों की पतारसी एवं सुरागरसी हेतु थानाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र द्वारा पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

गठित टीमों में सम्मिलित उ0नि0 हरी कुमार सिंह, उ0नि0 कृष्ण मुरारी मिश्रा, हे0का0 जयप्रकाश यादव, का0 भरत सिंह एवं का0 राहुल अग्निहोत्री द्वारा मुखबिर की सूचना पर नहर कोठी पुलिया के पास से दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये सफेद धातु के जेवरात व नकदी बरामद की गयी है, बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गई। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उन्हें नियमानुसार जिला उपकारागार महोबा भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है-

1. चरन अहिरवार पुत्र सुम्मी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम देवथा थाना अलीपुरा जनपद छतरपुर (म0प्र0)
2. राजेन्द्र पुत्र गंगा विश्वकर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी चक अमरपुरा थाना चिकासी जिला हमीरपुर

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों की जामा तलाशी से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित माल मशरूका बरामद हुआ, जिसमें-

- अभियुक्त चरन अहिरवार के कब्जे से 02 अदद हाफ बिछुआ (सफेद धातु), 03 जोड़ी पायल (सफेद धातु) एवं ₹12,770 नगद
- अभियुक्त राजेन्द्र के कब्जे से 02 अदद बिछुआ (सफेद धातु) एवं ₹14,800 नगद

दिनांक- 29.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 462/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़-थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने गैंगेस्टर एक्ट के वांछित 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम, तलाश व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.07.2026 को थाना कुलपहाड़ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्र मय हमराह हे0कां0 उत्तम सिंह, कां0 प्रभात कुमार एवं कां0 धीरज कनौजिया द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 170/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त रविन्द्र अहिरवार पुत्र नरेन्द्र अहिरवार, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम काशीपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा, हाल पता ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को मुढारी रेलवे फाटक के पास थाना क्षेत्र कुलपहाड़ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त जनपद स्तर पर सक्रिय संगठित गिरोह का सदस्य है तथा थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में राहगीरों से झपटमारी जैसी घटनाओं में संलिप्त रहकर अपराध कारित करने का अभ्यस्त अपराधी है। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

रविन्द्र अहिरवार पुत्र नरेन्द्र अहिरवार, उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी ग्राम काशीपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा हाल पता ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0सं0 142/2025 धारा 304/117(2) बीएनएस थाना कुलपहाड़
2.मु0अ0सं0 144/2025 धारा 304/117(2) बीएनएस थाना कुलपहाड़
3.मु0अ0सं0 170/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कुलपहाड़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.SHO कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र
2.हे0कां0 उत्तम सिंह
3.कां0 प्रभात कुमार
4.कां0 धीरज कनौजिया